न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 680–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 1055/अपील/10–11.

.....

संतोष कुमार मिश्रा तनय बृजविहारी मिश्रा, ग्राम बूढ़ा पो0 शिवराजपुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

..... निगरानीकर्ता

– विरूद्ध –

1. मनरंजन प्रसाद मिश्रा तनय चिन्तामणि मिश्रा, ग्राम बूढ़ा, पो0 शिवराजपुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन।

.....गैरनिगरानीकर्तागण

श्री श्रवण कुमार पाण्डे, अभिभाषक, निगरानीकर्ता

आदेश

(पारित दिनांक 9.10.2015. 2015)

निगराकार संतोषकुमार द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1055/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30.11.11 (जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जाना जायेगा) के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि गैरनिगराकार–1 मनरंजन प्रसाद द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त नईगढ़ी के समक्ष ग्राम बूढ़ा, जनरल नम्बर 738, तहसील मऊगंज, जिला रीवा की भूमि खसरा क्रमांक 238, 241 का कुल अंश रकवा 0.03 डिस. भूमि

अवत्यजन (दानपत्र) द्वारा शासकीय रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् कथित आवेदन दिनांक 24–8–2007 को नायब तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार ने जरिये प्रकरण क्रमांक 01/A74/07-08 में पारित आदेश दिनांक 26.10.07 द्वारा भूमि अवत्यजन का आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 26.10.07 के विरुद्ध गैरनिगराकार क्रमांक–1 मनरंजन प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 195/अ–24/09–10 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.05.2011 द्वारा अपील निरस्त की जाकर नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक–1 मनरंजन प्रसाद मिश्रा ने अधीनस्थ न्यायालय (अपर आयुक्त) के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 1055/अपील/10–11 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.11.11 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार वृत्त नईगढ़ी का आदेश दिनांक 26.10.07 एवं अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज का आदेश दिनांक 16.05.11 निरस्त किया गया। इस अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध निगराकार संतोष प्रसाद द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. आवेदक द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को बिना पक्षकार बनाये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि शासकीय आम रास्ते में है, तथा उससे जनता का हित जुड़ा हुआ है। यदि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा गया तो गैरनिगराकार कमांक–1 मनरंजन प्रसाद आम रास्ता बन्द कर देगा, जिससे आम निस्तार बन्द हो जायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4. निगराकार पक्ष के विद्वान अभिभाषक श्री श्रवण कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गये। गैर निगराकार क्रमांक–1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेशित की जा चुकी है। आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के समय निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

5. मैंने प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं उपलब्ध अभिलेखों का बारीकी से परिशीलन किया । उपरोक्त अध्ययन एवं विवेचना के आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु विचारणीय पाता हूँ :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा यह पाया गया है कि प्रकरण में इश्तहार विधिवत जारी नहीं किया गया एवं उसे 15 दिवस से भी कम अवधि के लिये जारी किया गया ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा पटवारी रिपोर्ट भी अपूर्ण पाई गई है।

(3) दान पत्र पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, केवल दानदाता के स्थान पर हस्ताक्षर है।

6/ नायब तहसीलदार के समक्ष हुई कार्यवाही में दान पत्र, इश्तहार, कथन इत्यादि पर मनरंजन प्रसाद के जो हस्ताक्षर है, वे उन हस्ताक्षरों से काफी भिन्न है, जो मनरंजन प्रसाद ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील में तथा अभिभाषक के नियुक्ति पत्र पर किये हैं । नायब तहसीलदार के समक्ष मनरंजन प्रसाद के हस्ताक्षर, अपर आयुक्त के समक्ष किये गये मनरंजन प्रसाद के हस्ताक्षर की तुलना में, अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा किये गये होने परिलक्षित होते हैं । स्पष्टतः दोनों न्यायालयों के समक्ष की गई कार्यवाहियों में मनरंजन प्रसाद के हस्ताक्षर, भिन्न है एवं एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये होने नहीं लगते है । ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उद्भूत होता है कि वास्तविक मनरंजन प्रसाद कौन था, जिसको सर्वे क्रमांक 238 एवं 241 ग्राम बुढ़ा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा की भूमि पर बतौर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त रहे हैं ।

7/ उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में यह प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अपनी अपील प्रकरण क्रमांक 1011/अपील/10–11 पुनः खोले एवं अपने समक्ष उन नायब तहसीलदार, वृत्त नई गढ़ी जिन्होंने विषयाकिंत आदेश दिनांक 26–10–2007 को पारित किया था, को एवं मनरंजन प्रसाद तनय चिंतामणी को साथ आहूत करें, एवं उन नायब तहसीलदार से अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने वाले मनंरजन प्रसाद की पहचान करवा कर यह स्पष्ट करें कि वह वही मनरंजन प्रसाद हैं या नहीं, जो नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1/अ 74/07–08 में हाजिर हुये थे, कथन किये थे एवं हस्ताक्षर किये थे ।

8/ उक्त कार्यवाही के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा अपना पुनः निष्कर्ष निकालें । साथ ही यदि नायब तहसीलदार द्वारा फर्जी मनरंजन प्रसाद के आवेदन, कथन इत्यादि के आधार पर दिनांक 26–10–2007 का अवत्यजन बाबत् आदेश पारित किया था, तो उनके

एवं मनरंजन प्रसाद की फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने वाले व्यक्ति के विरूद्ध योग्य दाण्डिक एवं/अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें । प्रकरण के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ अपर आयुक्त को वापस भेजे जायें । प्रकरण समाप्त किया जाता है । दा0 द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर